20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. कोर्ट फी Rs. COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

351

नि0 3005-दो/15

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक --दो / 15

फूलसिंह तनय मुन्नीलाल यादव
निवासी मैंदवार तह0 जतारा
जिला टीकमगढ़ म0प्र0

--- आवेदक

श्री रजनी वशिष्ठ शर्मा (एड.)
द्वारा आज दि. 7/9/15 को
प्रस्तुत

7-9-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

सीताराम तनय सुनुआ अहिरवार
निवासी मैंदवार तहसील जतारा
जिला टीकमगढ़ म0प्र0

-- अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा--50 म0प्र0 भू--राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनां 30.5.15 पारित द्वारा अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ प्रकरण कमांक अपी 104/बी--121/13--14 से परिवेदित होकर प्रस्तुत ।

श्रीमान न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

1-- यह कि अनावेदक सीताराम तनय सुनुआ अहिरवार को तहसीलदार जतारा ने दिन 27.05.2002 को विधि विरूद्व आदेश पारित कर भूमि आवंटित कर दी एवं अनावेदक ऋण पुस्तिका जारी कर शासकीय रिकार्ड में नाम अंकित कर दिया, जबकि अनावे भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आता है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3005-दो/2015 जिला टीकमगढ़ फूलसिंह विरूद्ध सीताराम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ के प्रकरण क्रमांक 104/बी-121/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 30-05-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 07-09-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

	के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) 21.01.19 सदस्य	